भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4166
दिनांक 22 **मार्च**, 2021

तेल आयात पर निर्भरता को कम करना

4166. **श्री दुष्यंत सिंह**:
श्रीमती परनीत कौर:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. ए. चेल्लाकुमार:
श्री उत्तम कुमार रेड्डी:
श्री के. सुधाकरन:
श्री एम. सेल्वराज:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2022 तक तेल आयातों में 10 प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य तय किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 2015 की तुलना में 2022 तक तेल आयात पर भारत की निर्भरता को 10 प्रतिशत कटौती करने के 2014से अब तक वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है;
(ग) वर्ष 2020 तक आयातित कच्चे तेल का वर्ष-वार डेटा क्या है तथा वर्ष 2020 तक कच्चे तेल के कुल घरेलू उपभोग की प्रतिशतता के रूप में कच्चे तेल के आयात का वर्ष-वार डेटा क्या है;
(घ) स्वदेश में उत्पादित कच्चे तेल का डेटा क्या है तथा कुल कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन के प्रतिशत के रूप में प्री-न्यू एम्प्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एन.ई.एल.पी.) ब्लॉकों की वर्तमान उत्पादन क्षमता का वर्ष-वार डेटा क्या है
(ड.) प्री-एन.ई.एल.पी. ब्लॉकों में स्वदेश में उत्पादित कच्चे तेल पर वर्तमान में प्रभारित उपकर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार घरेलू उपकर की दर में संशोधन करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) वर्ष 2014से भारत की तेल आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा तेल आयात पर निर्भरता में परिणामी गिरावट यदि कोई हो, क्या है; और

(ज) क्या पेट्रोलियम अन्वेषण तथा भारत की सीमा में पेट्रोलियम संसाधनों का अन्वेषण कार्य स्वयं सरकार द्वारा या किसी प्रकार की निजी भागीदारी के साथ किया जा रहा है और यदि हां, उन भौगोलिक स्थानों जहां अन्वेषण कार्य चल रहा है के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इससे जुड़ी निजी कंपनियों के नाम क्या हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) जी, हाँ। सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत की तेल और तेल समतुल्य गैस आयात निर्भरता वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में क्रमशः 68.9% और 72.2% थी और चालू अप्रैल-जनवरी, 2020-21 के दौरान 77.1% है।

(ग) आयातित कच्चे तेल का विवरण तथा कुल कच्चे तेल के प्रसंस्करण के प्रतिशत के रूप में कच्चे तेल के आयात का विवरण नीचे दिया गया है:

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल - जनवरी) (पी)
कच्चा तेल आयात (एमएमटी में)	202.9	213.9	220.4	226.5	227.0	162.8
प्रसंस्करित कच्चा तेल (एमएमटी में)	232.9	245.4	251.9	257.2	254.4	182.2
कुल कच्चे तेल के प्रसंस्करण के प्रतिशत के रूप में कच्चे तेल का आयात (% में)	87.1	87.2	87.5	88.1	89.2	89.4

पी : अनंतिम

(घ) घरेलू रूप से और एनईएलपी-पूर्व ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल के रूझान नीचे दिये गए हैं:-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एनईएलपी-पूर्व ब्लॉक (एमएमटी में)	9.0	8.6	8.3	8.4	7.3
देश का उत्पादन (एमएमटी में)	36.9	36.0	35.7	34.2	32.2
एनईएलपी-पूर्व ब्लॉक का % योगदान	24.4%	23.8%	23.3%	24.7%	22.6%

(ङ) और (च) एनईएलपी-पूर्व ब्लॉको से उत्पादित कच्चे तेल पर 20% यथामूल्य की दर पर तेल उद्योग विकास उपकर लागू है और वर्तमान में, उपकर की दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने, रिफायनरी प्रक्रिया सुधार, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने, उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत विभिन्न नीतियों के माध्यम से तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास, खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना करने आदि के म`नजर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपी डत बॉयो गैस और बॉयोडीजल, देश में स्वच्छ ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय तेल क्मं नियों को कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान की है और इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो प्रणाली सहित मंजूरी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करते हुए निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिया है। तेल पर आयात निर्भरता कम करने का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय केन् सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/हितधारकों के सहयोग से कार्य कर रहा है।

(ज) देश में तेल और गैस का अन्वेषण निम्नलि खत के तहत किया जा रहा है :-

1. नामांकन व्यवस्था – ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा
2. पीएससी/आरएससी व्यवस्था – भारतीय और विदेशी क्मं नियों एवं जेवीज, जिनमें पीएसयूज शामिल हैं, द्वारा

वर्तमान में, नामांकन, पीएससी और आरएससी व्यवस्था के तहत ऑनशोर और ऑफशोर क्षेत्रों में भारत के विभिन्न तलछटी बेसिनों में ~2,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ चल रही हैं।

****